संख्या-182/2021/888/41-2021-02(बजट)/2018

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 03 मार्च 2021

विषय- **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन भागीरथी पर्यटक आवास गृह (होटल) में प्रस्तावित रूफ टाप स्ट्रक्चर के निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-6638/6-1-1(09)/मु0मं0घो0/2018-19 दिनांक 24-2-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से भागीरथी पर्यटक आवास गृह के फर्निशिंग एवं इन्टीरियर कार्य हेतु गठित कय-समिति की दिनाँक 23.01.2021 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पर्यटन निगम द्वारा कराये जा रहे फर्नीशिंग एवं इन्टीरियर कार्यो के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित बचत धनराशि रू0-140.00 लाख से रूफ टॉप स्ट्रक्चर के कार्य को कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से सम्पादित कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना के कार्य हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत चयनित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-107/2018/1828/41-2018-02(बजट)/2018 दिनॉक 26 मई, 2018 द्वारा रू0 26,54,74,000.00 (रूपये छब्बीस करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 5,00,00,000.00 (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात महानिदेशक पर्यटन के पत्र दिनांक 7-8-2019 द्वारा प्रारम्भिक आगणन के भवन क्षेत्रफल 6091.70 वर्गमीटर में अभिवृद्धि होकर भवन क्षेत्रफल 7117.07 वर्गमीटर हो जाने के परिणामस्वरूप रू0-**3607**.38 लाख का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुये पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया**,** जिसके अनुक्रम में उक्त पुनरीक्षित आगणन का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति की बैठक दि0-**19-8-2020** में कराये जाने के क्रम में रू0-3607**.38** लाख के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष रू0-3261.15 लाख (जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित) आंकलित की गई और तत्क्रम में प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-107/2018/1828/41-2018-02(बजट)/2018 दिनॉक 26 मई, 2018 द्वारा रू0 26,54,74,000.00 (रूपये छब्बीस करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति को संशोधित करते हुये परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-3261.15 लाख (रूपये बत्तीस करोड इकसठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) शासनादेश सं0- 255/2020/1712/41-2020-02(बजट) /2018 दिनांक 6-10-2020 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्गत की गई। तदनन्तर प्रायोजना के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा क्रम में निर्माणाधीन आवास गृह को विशिष्ट गढवाली स्वरूप दिये जाने का मत स्थिर किया गया एवं तत्क्रम में इस निर्माणाधीन प्रायोजना में कतिपय उच्च विशिष्टियों का समावेश कराते हुये कार्य कराये जाने हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रू0-3607.38 लाख का व्यय वित्त समिति की बैठक दि0-18-11-2020 में पुनर्मूल्यांकन कराया गया। व्यय वित्त समिति की बैठक दि0-18-11-2020 में प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में कतिपय उच्च विशिष्टियों /लागत का समावेश करते हुये प्रायोजना की संशोधित पुनरीक्षित लागत रू0-3430.96 लाख शासनादेश सं0-14/2021/4809/41-2020-02 (बजट)/2018 दिनांक 06-01-2021 द्वारा निर्गत की गई । उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सं0-13/2021/4826/41-2020-102 (बजट)/2020 दिनांक 06-01-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के निर्माणाधीन नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर - किचन माड्युलर फर्नीचर (किचेन सेट) ,रेस्टोरेण्ट फर्नीचर ,बैंक्वेट हॉल-फर्नीचर, सभी कक्षों एवं सूट के फर्नीचर / फर्निशिंग इत्यदि को क्रय किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित संदर्भगत आगणन में अंकित लागत रू0-7.61 करोड+ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0- रू0 1.36 करोड अर्थात् कुल रूपये 8.96 करोड (रूपये आठ करोड छियानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई जिसके क्रम में बाद में शासनादेश सं0-30/2021 /142/41-2021-102 (बजट)/2020 दिनांक 13-01-2021 द्वारा प्रमुख सचिव , पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में क्रय समिति का गठन किया गया और शासनादेश सं0-43/2021/315/41-2021-102 (बजट)/2020 दिनांक 25-01-2021 द्वारा फर्नीचर कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ को कार्यदायी संस्था भी नामित किया गया। उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन द्वारा संदर्भगत कय समिति की बैठक दिनाँक 23.01.2021 का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित करते हुये उक्त निर्णयानुसार फर्नीशिंग एवं इन्टीरियर कार्यो के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित बचत धनराशि रू0-140.00 लाख से रूफ टॉप स्ट्रक्चर के कार्य को उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से कराये जाने हेतु अनुमति/आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी सस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा परियोजनान्तर्गत भवन को गढवाल शैली के डिजायन हेतु रूफ टॉप स्ट्रक्चर एवं अन्य कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रू0-274.88 लाख (आंकलित लागत रू0-270.70 लाख) मे रूफ टॉप स्ट्रक्चर हेतु प्राविधानित की गयी धनराशि रू0-150.01 लाख के दृष्टिगत संदर्भगत क्रय समिति की बैठक दि0-23-01-2021 के प्रस्ताव क्रम में उक्त कार्य को ब्यूटीफिकेशन एव फर्नीशिंग का ही स्वरूप होने के कारण पर्यटन निगम द्वारा कराये जा रहे फर्नीशिंग एवं इन्टीरियर कार्यों के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित बचत धनराशि रू0-140.00 लाख से कराये जाने हेतु एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। संदर्भगत कार्य तकनीकी प्रकृति का होने के कारण उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसे उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से कराया जायेगा। उक्त अनुमति निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जा रही है:-

(1) प्रश्नगत कार्य शासनादेश सं0-13/2021/4826/41-2020-102 (बजट)/2020 दिनांक 06-01-2021 द्वारा जारी की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अधीन कराये जाने का प्रस्ताव हैं अत: उक्त शासनादेश में अंकित प्रतिबन्धों/शर्तों सहित शासनादेश सं0-30/2021/142/41-2021-102 (बजट)/2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 13-01-2021 एवं शासनादेश सं0-43/2021/315/41-2021-102(बजट)/2020 दिनांक 25-01-2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का भी पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रायोजनान्तर्गत स्लोपी रूफ (एम०एस० स्ट्रक्चर) उच्च विशिष्टि प्रकृति का कार्य है जिसके अन्तर्गत रूफ शिगिल्श कलर, हिप एण्ड रिज प्लस, ई-बोर्ड सीलिंग, और रेड सेडार वुड प्लैंक्न्स का कार्य प्रस्तावित किया गया है ,जो विशिष्ट प्रकृति का कार्य है ,अत: इसकी आवश्यकता एवं औचित्य पर विचार किया जायेगा औय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में स्वीकृति कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-182/2021/888/41-2021-02(बजट)/2018 तद्दिनॉक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- निजी सचिव ,प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
5- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
10- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
11- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
13- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
14- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
15- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।